मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 1990 (अग्रहायण 29, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा (दिनांक 31 दिसम्बर, 1982) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार आप्टेल टेली कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-90 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री : विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री कैलाश जोशी, ऊर्जा मंत्री : विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79-ए की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की ओर से प्राप्त मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की निम्नलिखित अधिसूचनायें :—

(1) क्रमांक 01-05-एक-105 दिनांक 29 मई, 1990.

(2) क्रमांक 01-05-एक-210 दिनांक 24 नवम्बर, 1990.

(3) क्रमांक 01-05-एक-216 दिनांक 4 दिसम्बर, 1990

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री बलीराम कश्यप आदिम जाति कल्याण मंत्री : भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की उनतीसवीं रिपोर्ट, वर्ष 1987-89 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के निर्देशानुसार पटल पर रखेंगे.

(7) श्री ननकी राम कंवर, कृषि मंत्री : जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश की वैधानिक आडिट रिपोर्ट / उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा वर्ष 1984-85 का अनुभाग 1 व 2 पटल पर रखेंगे.

(8) श्री हिम्मत कोठारी, लोक निर्माण मंत्री : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, भोपाल का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1987-89 (दिनांक 1 अक्टूबर, 1987 से 31 मार्च, 1989 तक) पटल पर रखेंगे.

(9) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री : मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 51 की उपधारा (4) तथा धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :—

(1) क्रमांक ए-5-3-90-विक-पांच (70) दिनांक 10 अगस्त, 1990

(2) क्रमांक ए-3-25-90-विक-पांच (56) दिनांक 13 जुलाई, 1990

पटल पर रखेंगे.

(10) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री : केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना एफ क्रमांक ए-5-2-90-विक-पांच (68), दिनांक 8 अगस्त, 1990 पटल पर रखेंगे.

(11) श्री मोहम्मद गनी अंसारी, राज्य मंत्री, मछली पालन : मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79 से 1988-89 तक पटल पर रखेंगे.

(12) श्री मूलचन्द खंडेलवाल, राज्य मंत्री, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति : कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 पटल पर रखेंगे.

(13) श्री जयन्त मलैया, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण : जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य इन्दौर शहर के अनेक क्षेत्रों में डकैती की घटनायें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डा. गोविन्द सिंह/सर्वश्री श्रीराम जाटव/हरीसिंह नरवरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के अनेक क्षेत्रों में अतिवृष्टि से प्रभावितों को पर्याप्त सहायता न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य बालाघाट जिले के ग्राम हिर्री में नक्सलवादियों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री नन्दकुमार सिंह चौहान, सदस्य, बुरहानपुर तहसील के केला उत्पादक कृषकों को राहत प्रदान किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 254 राजगढ़ से निर्वाचित सदस्य श्री रघुनन्दन शर्मा को विधान सभा के दिसम्बर, 1990 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.